



प्रीलमिस फैक्ट्स: 20 फरवरी, 2019

राष्ट्रीय ग्रामीण आर्थिक रूपांतरण परियोजना

हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय ग्रामीण आर्थिक रूपांतरण परियोजना (National Rural Economic Transformation Project- NRETP) को मंजूरी दी है।

- गौरतलब है कि विश्व बैंक से ऋण सहायता (International Bank for Reconstruction and Development- IBRD Credit) के ज़रिये दीनदयाल अंत्योदय योजना- राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन [Deendayal Antyodaya Yojana- National Rural Livelihoods Mission (DAY-NRLM)] के तहत 'राष्ट्रीय ग्रामीण आर्थिक रूपांतरण परियोजना (National Rural Economic Transformation Project- NRETP)' को कार्यान्वयित किया जाएगा।

क्या होंगे लाभ?

- राष्ट्रीय ग्रामीण आर्थिक रूपांतरण परियोजना (NRETP) द्वारा उपलब्ध कराई जा रही तकनीकी सहायता एवं परियोजना द्वारा सुगम कराए जाने वाले उच्च स्तरीय उपायों से आजीविका संवर्द्धन एवं वित्तीय सुवधि में बढोतरी होगी तथा डिजिटल वित्त एवं आजीविका युक्तियों से संबंधित पहलों को बढावा मल्लिगा।
- राष्ट्रीय ग्रामीण आर्थिक रूपांतरण परियोजना (NRETP) के तहत वित्तीय समावेशन के वैकल्पिक माध्यमों का मार्गदर्शन करने, ग्रामीण उत्पादों के आसपास मूल्य श्रृंखला सृजित करने से संबंधित पहलों को बढावा देने के लिये नवोन्मेषी परियोजनाएँ आरंभ की जाएंगी।

प्रधानमंत्री आवास योजना - ग्रामीण

हाल ही में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मार्च 2019 से आगे के लिये प्रधानमंत्री आवास योजना- ग्रामीण (PMAY-G) चरण- II के कार्यान्वयन को मंजूरी दे दी है।

- PMAY-G चरण- II के तहत सरकार ने 2022 तक 1.95 करोड़ घर बनाने का लक्ष्य रखा है।
- PMAY-G चरण-II 2019-20 तक PMAY-G चरण-I के मौजूदा मानदंडों के अनुसार जारी रहेगा जिसके तहत 60 लाख घरों का लक्ष्य है।
- 2016 में शुरू की गई PMAY-G योजना का उद्देश्य 2022 तक सभी बेघर, कच्चे और जीर्ण घरों में रहने वाले लोगों को बुनियादी सुविधाओं से लैश पक्के मकान प्रदान करना है।

और पढ़ें...

[प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना अपने लक्ष्य से पीछे](#)

तीन तलाक पर फरि से अध्यादेश मंजूर

हाल ही में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वपिक्षी पारटियों के वरिोध के चलते तीन तलाक वधियक के संसद में पारति न होने के कारण एक बार फरि अध्यादेश लाने का प्रस्ताव दया है।

इसके अंतर्गत केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नमिनलखिति प्रस्तावों को मंजूरी दी है:

1. संवधान के अनुच्छेद 123 के खंड (1) के तहत परशिषिट की पृषठ संख्या 9 से 12 के अनुरूप एक अध्यादेश के प्रस्ताव की घोषणा जिसका नाम मुसलमि महिला ववाह संरक्षण वधियक अध्यादेश- 2019 है।
2. मुसलमि महिला ववाह संरक्षण वधियक- 2018 जो करिाज्यसभा में लंबति है, में आवश्यक आधिकारिक संशोधन करना जिससे कि उपरोक्त अध्यादेश के स्थान पर वर्तमान में आवश्यक प्रारूपण एवं अनुवर्ती प्रकृतिके संशोधनों को रखा जा सके।

लाभ

- यह प्रस्तावति अध्यादेश ववाहति मुसलमि महिलाओं के अधिकारों की सुरक्षा करते हुए उन्हें उनके पतियों द्वारा दयि जाने वाले तात्कालिक और

- अपरिवर्तनीय 'तलाक-ए-बदिदत' के प्रचलन द्वारा तलाक दिये जाने पर पाबंदी लगाएगा।
- यह अध्यादेश तीन तलाक अर्थात् तलाक-ए-बदिदत की प्रथा को नरुत्साहति करेगा।
 - प्रस्तावति अध्यादेश के तहत तीन तलाक यानी ए तलाक-ए-बदिदत से प्रभावति नाबालगि बच्चों के लयि संरक्षण का अधिकार प्रदान करेगा।

और पढ़ें...

[सरकार ने फरि से लागू कयिा तीन तलाक संबंधी अध्यादेश](#)

[तीन तलाक पर नया वधियक लोकसभा में पारति](#)

जलवायु परिवर्तन से वल्लिप्त होने वाला पहला स्तनपायी Aussie mammal the first 'climate change extinction'

हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के पर्यावरण मंत्रालय ने ग्रेट बैरियर रीफ क्षेत्र में पाए जाने वाले कृतक के वल्लिप्त सूची में शामिल होने की आधिकारिक तौर पर घोषणा की है, ऐसा माना जाता है कि यह पहला स्तनपायी जीव है जो मानव-जनति जलवायु परिवर्तन से समाप्त हुआ है।

- ब्रम्बल केई मेलोमसि (Bramble Cay melomys) जो चूहे के समान दिखाई पड़ता था, पछिले एक दशक में देखा नहीं गया है। इसका अब तक का ज्ञात वास-स्थान सुदूर उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में एक छोटा रेतीले द्वीप था।
- शोधकर्त्ताओं ने इसके गायब होने का एक प्रमुख कारक पछिले दशक के दौरान इस द्वीप में पाए जाने वाले प्रवाल भित्तिपर बार-बार में समुद्री जल सैलाब का आना बताया।
- 2014 में शोधकर्त्ताओं ने इन प्रजातियों का पता लगाने के लयि एक वसि्तुत सर्वेक्षण कयिा, लेकिन कोई भी साक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ।
- 2016 में जारी एक अध्ययन के अनुसार, टोरेस स्ट्रेट क्षेत्र में समुद्र के स्तर में वृद्धि और मौसम की घटनाओं पर उपलब्ध आँकड़े 'मानव-जनति जलवायु परिवर्तन' की ओर इशारा करते हैं, जो कि ब्रम्बल केई मेलोमसि के नष्ट होने का मूल कारण है।
- 1845 में पहली बार यूरोपीय लोगों द्वारा द ग्रेट बैरियर रीफ पर इस प्रजाति के मेलोमसि रूबिकोला (Melomys rubicola) को खोजा गया था ये लोग अपने मनोरंजन के लयि 'बड़े चूहों' को गोली से मार रहे थे।

पीसा (PISA) में भारत की प्रस्तावति भागीदारी के समझौते को मंजूरी

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आर्थिक सहयोग और विकास संगठन (Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) द्वारा 2021 में आयोजति कयि जाने वाले अंतरराष्ट्रीय छात्रों के मूल्यांकन कार्यक्रम (Programme for International Students Assessment-PISA) में भारत की भागीदारी के लयि OECD के साथ समझौते को स्वीकृत प्रदान कर दी है।

- भारत सरकार और OECD के बीच इस समझौते पर 28 जनवरी, 2019 को हस्ताक्षर हुए थे।
- पीसा में भागीदारी से प्राप्त ज्ञान के आधार पर स्कूल में वर्तमान में चल रही रट कर सीखने की प्रणाली को योग्यता-आधारति परीक्षा में परिवर्तति करने में मदद मिलेगी।
- केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (Central Board of Secondary Education-CBSE) तथा राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (National Council of Educational Research and Training-NCERT) वास्तविक परीक्षा की प्रक्रयिा और उससे संबंधति गतिविधियों का हसिसा होंगे।

अंतरराष्ट्रीय छात्र मूल्यांकन कार्यक्रम (Program for International Student Assessment-PISA)

- PISA का आयोजन पहली बार वर्ष 2000 में कयिा गया था।
- आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन (OECD) द्वारा समन्वति यह एक त्रैवार्षिक अंतरराष्ट्रीय सर्वेक्षण है जिसमें दुनिया भर की शैक्षिक प्रणालियों की गुणवत्ता का आकलन वज्ज्ञान, गणति और पठन संबंधी क्षेत्रों में छात्रों का मूल्यांकन करके कयिा जाता है।
- भारत में अधिकांश स्कूली परीक्षाओं की तरह इस कार्यक्रम में छात्र की समुति और पाठ्यचर्या आधारति ज्ञान का परीक्षण नहीं कयिा जाता है। उदाहरण के लयि, PISA का वज्ज्ञान परीक्षण तीन दक्षताओं को मापता है- वैज्ञानिक घटनाओं को समझने की क्षमता, डेटा एवं साक्ष्यों की वैज्ञानिक व्याख्या तथा वैज्ञानिक जज्ज्ञासाओं को डिज़ाइन और मूल्यांकन करने की क्षमता।

और पढ़ें...

[वर्ष 2021 में पीसा \(PISA\) में भाग लेगा भारत](#)

[लंबे अंतराल के बाद पीसा में पुनः भाग लेगा भारत](#)

